अध्याय V: भारी उद्योग मंत्रालय

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

5.1 वैकल्पिक करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाईयों की आपूर्ति में शिथिलता के कारण परिहार्य हानि

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वैकल्पिक करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाई के पूर्ण सैटों की आपूर्ति में ढिलाई के कारण ₹13.69 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

रेलवे बोर्ड (रेलवे) ने ₹23.13 करोड़ के कर एवं ₹128.02 करोड़ के कुल मूल्य पर अपनी तीन परेषितियों नामत बीईएमएल (24 सैट), टिटागढ वेगन लिमिटेड (टीडब्ल्यूएल) (33 सैट) और जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) (23 सेट) को वैकल्पिक करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाई (एसीईएमयू) मोटर कोच हेतु ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स के 80 सेटों[1] की आपूर्ति के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को आदेश दिया था (23 जनवरी 2013)। भुगतान की शर्तों के अनुसार, 100 *प्रतिशत* करों और शुल्कों सहित उपस्कर के 98 *प्रतिशत* मूल्य का भुगतान पूरे सेट के निरीक्षण और प्रेषण के प्रमाण के बाद और शेष 2 *प्रतिशत* का भुगतान परेषिती द्वारा उपस्कर की अच्छी स्थिति में प्राप्ति के बाद किया जाना था।

कार्पोरेट कार्यालय, भेल ने 01 मई 2013 को आपूर्ति की निर्धारित शुरूआत तिथि के साथ कार्य के निष्पादन हेतु भेल, भोपाल (डिवीजन) को एक आंतरिक आदेश जारी किया (जनवरी 2013)। आदेश के अनुसार, जेसप को अगस्त 2013 को छोड़कर, जब केवल तीन सेटों की आपूर्ति की जानी थी, मई से नवम्बर, 2013 तक प्रत्येक माह चार सेटों की आपूर्ति की जानी थी। हालांकि, रेलवे ने 17 मई 2013 को परेषणों पर रोक लगा दी और लगभग चार माह के बाद 09 सितम्बर 2013 को रोक हटा दी। नवम्बर 2013 में आपूर्ति पूर्णता अनुसूची की तुलना में आपूर्तियां अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान की गई थी।

---

[1] *एक सेट में चार ट्रैक्शन मोटर और इतनी ही संख्या में गियर केस असेंम्बली, गियर व्हील एवं नोज संस्पेंशन यूनिट (इस्पात और रबड़ पार्ट) प्रत्येक, एचवी टरिट के साथ फिटिड ऑयल के साथ एक मुख्य ट्रांसफार्मर और अन्य सहायक सामग्री तथा अन्य नियंत्रक उपस्कर शामिल है।*

भेल द्वारा पूर्ण सेट की बजाय टुकड़ों में आपूर्ति की गई थी और इन्हें परेषिती के स्थान पर जोड़ा गया था। अपूर्ण सेटों के रूप में आपूरित अन्य असंकलित मदों अर्थात् 15 ट्रासफार्मरों, 21 ट्रैक्शन मोटरों और 1 कंट्रोल गियर ग्रुप-ए सेट को छोड़ते हुए जेसप को फरवरी 2014 तक की गई आपूर्तियों में से ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स के आठ पूर्ण सेट संकलित किए जा सके। जेसप ने मजदूरों की हड़ताल और तालाबंदी के कारण अनिश्चित काल के लिए अपना उत्पादन बंद कर दिया था। रेलवे द्वारा जेसप को की जाने वाली आपूर्तियों को 27 मार्च 2014 को रोक दिया गया था। उक्त आदेश में रेलवे ने संशोधन (27 मई 2016) किया था जिसमें लगभग दो वर्षों की अवधि के बाद मात्रा को 80 सेट से घटाकर 72 सेट (टीडब्ल्यूएल को 34 सेट, बीईएमएल को 30 सेट एवं जेसप को 8 सेट), कर दिया गया था जिसे देखते हुए जेसप को और आपूर्ति करना अपेक्षित नहीं था।

अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान जेसप को आपूरित उपस्कर का कुल मूल्य ₹35.85 करोड़ था जिसमें से रेलवे ने नवम्बर 2015 से अगस्त 2017 के दौरान केवल 8 पूर्ण सेटों के लिए ₹22.16 करोड़ का भुगतान किया था और अन्य असंकलित मदों के लिए यह कहते हुए भुगतान करने से मना कर दिया कि भुगतान केवल पूर्ण सेटों के लिए ही किया जाएगा। रेलवे ने भेल को जेसप से उन असंकलित मदों को वापस लेने का परामर्श दिया क्योंकि रेलवे द्वारा जेसप के साथ की गई संविदा को निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा, भेल ने भुगतानों के लिए रेलवे के साथ मामले पर चर्चा की (नवम्बर 2016) जिसे स्वीकार नहीं किया गया था (फरवरी 2017)। भेल ने अक्टूबर 2016 में हुई आग की घटना से पूर्व जून 2016 में रेलवे के परामर्श के बावजूद असंकलित मदों को वापस नहीं लिया था। भेल ने भुगतान न करने हेतु रेलवे के विरूद्ध किसी कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं लिया और ₹13.69 करोड़ (₹35.85 करोड़ - ₹22.16 करोड़) के इस ऋण के प्रति ₹9.21 करोड़ का प्रावधान भी किया।

इस प्रकार, भेल को एसीईएमयू ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स के पूर्ण सेट की आपूर्ति में ढ़िलाई के कारण ₹13.69 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

भेल ने बताया (फरवरी 2021) कि:

i) भेल की विभिन्न इकाईयों से आपूर्ति की गई थी और सेट की सभी मदों की एक साथ आपूर्ति नहीं की जा सकती थी। आपूर्ति मई 2013 से नवम्बर 2013 तक सात माह में पूरी की जानी थी। इस अवधि में से रेलवे के आदेश पर चार माह तक आपूर्तियों पर रोक लगाई गई थी। भेल केवल लगभग पांच माह तक (फरवरी 2014 तक) ही सामग्री की

आपूर्ति कर सका। आपूर्ति को पांच माह में पूरा करना संभव नहीं था जिसमें सुपुर्दगी अवधि सात माह की थी क्योंकि सभी विनिर्मित मदें न्यूनतम संसाधन समय वाली है।

ii) भेल के लिए यातायात व्यवसाय का एकमात्र ग्राहक रेलवे है जिसके लिए भेल ने झांसी, भोपाल और ईडीएन, बैंगलोर संयंत्र पर विशेष व्यवसाय वर्टिकल बनाए हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए, पुराने ग्राहक के साथ कोई विरोध रखकर भविष्य की व्यवसायिक संभावना का जोखिम उठाना विवेकपूर्ण नहीं होगा, रेलवे ने कई बार प्रतिपूरक व्यवसाय देकर भेल की मदद भी की है। इसके अलावा, रेलवे ने जेसप के विरूद्ध शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें भेल द्वारा अपूरित ₹35.85 करोड़ की सामग्री का कुल मूल्य भी शामिल था और इसलिए भेल ने रेलवे के विरूद्ध कोई अलग कानूनी कार्यवाही नहीं की।

प्रबंधन के उत्तर पर निम्नलिखित तथ्यों के प्रति विचार किया गया है:

i) भेल के पास रेलवे के खरीद आदेश में अनुबंधित पूर्ण 23 सेटों की आपूर्ति के लिए नवम्बर 2013 की निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक लगभग चार माह की अवधि और थी। तथापि, भेल ने आदेश की शर्त का उल्लंघन करते हुए केवल आठ पूर्ण सेटों और शेष सेटों के लिए कुछ आंशिक असंकलित मदों की आपूर्ति की थी तथा भेल को असंकलित मदों की आपूर्ति का जोखिम बना रहा।

ii) यदि भेल प्रतिस्पर्धात्मक है तो रेलवे कानूनी माध्यमों से इसके वैध दावों के अनुसरण हेतु भविष्य में व्यवसाय से मना नहीं कर सकता।

इस प्रकार, भेल को एक बार में एसीईएमयू ट्रैक्शन इलैक्ट्रिक्स के पूर्ण सेट की आपूर्ति में ढिलाई के कारण ₹13.69 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

5.2 वित्तीय हित की सुरक्षा न करने के परिणामस्वरूप सुरक्षा शुल्क के भुगतान के प्रति अतिरिक्त भार

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बैंगलुरू इकाई ने कर संरचना और सुपुर्दगी अनुसूची में प्रस्तावित परिवर्तनों का संज्ञान नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप आयातों की निकासी हेतु सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई।

गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल) ने ₹305.63 करोड़ के संविदा मूल्य पर इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) आधार पर गुजरात सोलर पार्क, चरंका में 75 मे.वा. (एसी) सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल/कंपनी) को आशय-पत्र जारी किया था (19 मार्च 2018)। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शून्य तिथि 19 मार्च 2018 थी और परियोजना आशय-पत्र जारी होने की तिथि से सर्वोत्तम प्रयास आधार पर 10 माह में पूरी की जानी थी।

₹305.63 करोड़ का संविदा मूल्य फर्म कीमत थी जिसमें परियोजना के पूरा होने तक सभी कर और शुल्क शामिल थे और दरों में कोई वृद्धि नहीं की जानी थी। मूल संविदागत पूर्णता अवधि के दौरान करों में अंतर राशि की दस्तावेजी साक्ष्य देने पर प्रतिपूर्ति की जानी थी। हालांकि, एंटी-डंपिंग शुल्क/सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, यदि फोटो-वोल्टिक (पीवी) मॉडयूलों[2] पर लागू है, केवल तब की जानी थी यदि आपूर्ति को आशय-पत्र जारी होने की तिथि से पांच माह के अंदर पूरा कर लिया गया हो। भारत सरकार (जीओआई) ने चीन और मलेशिया से 30 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2019 (दोनों दिन शामिल है) के दौरान "सोलर सैल, मॉडयूलों या पैनलों में संकलित किए गए हो या नहीं" के आयात पर 25 *प्रतिशत* सुरक्षा शुल्क के आरोपण की अधिसूचना दी थी (30 जुलाई 2018)।

भेल की इलेक्ट्रोनिक्स डिवीजन, बैंगलुरू (ईडीएन) ने जीआईपीसीएल 75 मे.वा. के सौर संयंत्र के लिए पीवी मॉडयूलों की आपूर्ति के लिए आदेश कार्यान्वित किया था। पीवी मॉडयूलों की आपूर्ति के आदेश निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार ईडीएन द्वारा निष्पादित विपरीत नीलामी के बाद 50:30:20 के अनुपात में दिए गए थे:

---

[2] ***एक पीवी मॉड्यूल संस्थापन के लिए एक फ्रेमवर्क में चढ़े हुए फोटो-वोल्टिक सेलों का एक संयोजन होता है। फोटो-वोल्टिक सेल ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य की रोशनी का प्रयोग करते हैं और सीधे बिजली का उत्पादन करते हैं।***

तालिका सं. 5.1: विपरीत नीलामी में बोलीदाताओं के ब्यौरे

बोलीदाता	आपूर्तिकर्ता का नाम	खरीद आदेश की तिथि	कीमत* (₹ करोड़ में)	मात्रा (कुल मात्रा का *प्रतिशत*)	सुपुर्दगी अवधि	सुपुर्दगी की शर्तें
एल1	मै. जेनशाइन पीवी-टैक कंपनी लिमिटेड, चीन	12.06.2018	79.10	37,500 (50%)	16.08.2018-16.11.2018	परियोजना स्थल पर सुपुर्दगी शुल्क भुगतान सहित (डीडीपी)
एल2	मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड, चीन	14.06.2018	44.65	22,500 (30%)	27.07.2018-27.09.2018	लागत, बीमा, माल भाड़ा (सीआईएफ) न्हावाशेवा (मुंबई) सीपोर्ट
एल3	मै. विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड-बैंगलोर	27.06.2018	30.76	15,000 (20%)	25.07.2018-22.08.2018	परियोजना स्थल पर डीडीपी

*16 मई 2018 को प्रति यूएसडी अपनायी गयी ₹68.50 की विनिमय दर क्योंकि बोली मूल्यांकन के लिए इसी का उपयोग किया गया था।

जैसे कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मै. रेनीसोला जियांग्सू लिमिटेड के मामले में सुपुर्दगी टर्म सीआईएफ न्हावाशेवा सीपोर्ट था। इस आपूर्तिकर्ता से 15 अगस्त - 5 सितम्बर 2018 के दौरान आयात किए गए थे जब सुरक्षा शुल्क पहले से लागू था। तद्नुसार, कंपनी को पत्तन से माल की निकासी के लिए सुरक्षा शुल्क के प्रति ₹11.58 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। अन्य दो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति के मामले में शुल्क के भुगतान का दायित्व भेल पर नहीं था क्योंकि सुपुर्दगी की शर्तें डीडीपी थी जिसके अनुसार परियोजना स्थल तक सभी करों और शुल्कों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वयं वहन किया जाना था। हालांकि, मै. रेनीसोला से आपूर्तियों के मामले में कंपनी सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती थी, यदि आपूर्ति आशय-पत्र जारी होने की तिथि से पांच माह के अंदर पूरी कर दी गई होती। मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड द्वारा आपूर्तियां आशय-पत्र की तिथि से पांच माह के अंदर, अर्थात् 19 अगस्त 2018 तक, नहीं की गई थी, अत: जीआईपीसीएल ने सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु भेल के दावे को अस्वीकार कर दिया। मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड द्वारा आपूरित पीवी मॉड्यूल 26 अक्टूबर 2018 को, अर्थात् आशय-पत्र की तिथि से सात माह से अधिक के बाद परियोजना स्थल पर पहुँचे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

i) जीआईपीसीएल द्वारा दिए गए (18 दिसम्बर 2017) प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के खंड 7.13.3 (ए) के अनुसार जीआईपीसीएल को दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति पर संविधिक अंतर के कारण करों एवं शुल्कों में हुई किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति करनी थी। तथापि, सुरक्षा, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक द्वारा चीन और मलेशिया से आयातित ''सोलर सैलों, मॉडयूलों या पैनलों में संकलित किए गए हो या नहीं'' पर 70 *प्रतिशत* सुरक्षा शुल्क के उदग्रहण का प्रस्ताव रखे जाने (5 जनवरी 2018) के बाद, जीआईपीसीएल ने पीवी मॉडयूलों पर एंटी-डंपिंग शुल्क/ सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति को, केवल आशय-पत्र की तिथि से पांच माह में आपूर्ति पूरी होने पर सीमित करके अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करते हुए शर्तों में संशोधन किया था (12 जनवरी 2018)।

ii) भेल ने बोली में भाग लिया और 20 फरवरी 2018 को की गई विपरीत नीलामी के माध्यम से आदेश प्राप्त किया तथा पीवी मॉडयूलों की अधिप्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रित की (28 फरवरी 2018)। इस आरएफपी के खंड 5.3.39 में अनुबंध किया गया कि पीवी मॉडयूलों के लिए विक्रेता को ब्लूमबर्ग एनईएफ[3] (बीएनईएफ) क्यू4 2017 रिपोर्ट के अनुसार टीयर-I विनिर्माता होना चाहिए और जीआईपीसीएल के अनुमोदन के अध्यधीन अन्य निविदा आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। तथापि, भेल ने 'पूर्व योग्यता मानदंड (पीक्यूसी)' के रूप में 'बीएनईएफ क्यू4 2017 रिपोर्ट के अनुसार टीयर-I विनिर्माता' होने की विक्रेताओं की इस अपेक्षा को शामिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्त 12 बोलियों में से केवल पांच बीएनईएफ अनुमोदित विक्रेता थे और इनमें से केवल तीन विक्रेताओं को जीआईपीसीएल ने अनुमोदित किया था। चूँकि कंपनी के विपरीत नीलामी दिशानिर्देशों में न्यूनतम चार बोलीदाता अपेक्षित थे अत: इस निविदा को रद्द कर दिया गया था (28 मार्च 2018)। तत्पश्चात, भेल ने 30 मार्च 2018 को दूसरी निविदा जारी की जिसे निविदा की निबंधन एवं शर्तों में अपेक्षित बदलाव करने के आधार पर रद्द कर दिया गया था (4 अप्रैल 2018)। कंपनी द्वारा अन्य निविदा 28 अप्रैल 2018 में जारी की गई इसमें वहीं शर्तें शामिल की गई थी जो 30 मार्च 2018 की निविदा में थी। इस प्रक्रिया में भेल ने मूल्यवान समय खो दिया जो पांच माह की सुपुर्दगी की अवधि को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण था।

---

[3] ***ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस (बीएनईएफ) टीयर-I निर्माता वह है जिन्होंने उन छ: विभिन्न परियोजनाओं को अपना ब्रांड, अपने विनिर्मित उत्पाद उपलब्ध कराए हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों से छ: विभिन्न (गैर-विकास) बैंकों द्वारा बिना सहारे वितपोषित किया गया है।***

iii) आरएफपी के खंड 6.9.2 के अनुसार, पीवी मॉडयूलों की सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति पूर्ण करने की अवधि शून्य तिथि (19 मार्च 2018) से 210 दिनों (सात माह) की थी। जीआईपीसीएल ने इस अनुसूची में 12 जनवरी 2018 को संशोधन किया था और अनुसूची को घटाकर शून्य तिथि से 150 दिन (पांच माह) कर दिया गया था। तथापि, भेल ने अप्रैल 2018 में पीवी मॉडयूलों की आपूर्ति हेतु निविदा जारी करते समय सात माह[4] की संशोधन-पूर्व अनुसूची पर ही विचार किया जिससे समग्र आपूर्ति अनुसूची प्रभावित हुई। यह सुनिश्चित करना मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड के मामले में अधिक महत्वपूर्ण था कि आपूर्तियां आशय-पत्र की तिथि से पांच माह के अंदर कर दी जाएं, क्योंकि जीआईपीसीएल द्वारा सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति इसी पर निर्भर थी। पत्तन से माल की निकासी और परियोजना स्थल तक सुपुर्दगी के लिए 30 दिनों की समय सीमा पर विचार करते हुए मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड से सुपुर्दगी 19 जुलाई 2018 तक पूरी हो जानी चाहिए थी ताकि 19 अगस्त 2018 तक परियोजना स्थल तक पहुँचाया जा सके। इसके विपरीत, 27 सितम्बर 2018 तक सुपुर्दगी करने का आदेश दिया गया था।

भेल के ईडीएन ने कर संरचना और सुपुर्दगी अनुसूची में प्रस्तावित बदलावों का संज्ञान नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप आयातों की निकासी हेतु सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई।

भेल के कार्पोरेट कार्यालय ने ईडीएन प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (जुलाई 2020) जिसमें बताया गया था कि:

i) पहली निविदा ब्लूमवर्ग टीयर-1 सूची से पीवी मॉडयूलों की आवश्यकता के साथ जीआईपीसीएल से आशय-पत्र की प्राप्ति से पहले ही अग्रसक्रियता से जारी की गई थी। निविदा का रद्द करना जीआईपीसीएल अनुमोदित पीवी मॉडयूल विनिर्माताओं द्वारा डीडीपी सुपुर्दगी शर्तों के अस्वीकरण और जीआईपीसीएल द्वारा डीडीपी सुपुर्दगी शर्तों पर सहमति देने वाले पीवी मॉडयूल विनिर्माताओं को अस्वीकृत करने के कारण हुआ था। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये विनिर्माता ब्लूमबर्ग टीयर-I में सूचीबद्ध थे।

ii) भेल ने अनिश्चित लागत वाले सुरक्षा शुल्क, जिसके लगाने की तिथि और प्रतिशतता निविदाकरण के समय ज्ञात नहीं थी, की अपेक्षा पीवी मॉडयूल की अधिप्राप्ति करते समय

---

[4] ***जीआईपीसीएल द्वारा निविर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी) अनुमोदन की तिथि से चार सप्ताह से आरंभ करके 10 मे.वा. की पहली सुपुर्दगी और उसके बाद 10 मे.वा. प्रति माह।***

भेल द्वारा वहन की जाने वाली निश्चित लागतों के कारण जीआईपीसीएल द्वारा नियत 19 अगस्त 2018 को सुरक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति कट-ऑफ तारीख से जोड़े बिना यथा निर्दिष्ट सुपुर्दगी अनुसूची को बनाए रखने का निर्णय लिया था। इसके अलावा, विदेशी विक्रेता के लिए सुपुर्दगी की लघु अवधि संभवत: दो माह या एक माह के साथ (अपेक्षित खरीद आदेश 10 जून 2018 तक अर्थात निविदा तिथि से 44 दिन के अंदर देना है जिसमें नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा खुलने का समय, तकनीकी/वाणिज्यिक स्पष्टीकरण, विपरीत नीलामी, समझौता आदि शामिल है), पीवी मॉडयूल विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तावित दरें अत्यधिक होती अथवा निकृष्टतम मामले में विनिर्माता निविदा के लिए उद्धरण ही नहीं देते, जिससे और अधिक विलंब होता।

iii) भेल द्वारा व्यवहार में लाई गई बचत पहल के रूप में सभी उच्च मूल्य की अधिप्राप्तियों हेतु विपरीत नीलामी का प्रयास किया गया है। उन पीवी मॉडयूल विनिर्माताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए थे जिनकों भेल और जीआईपीसीएल द्वारा नई निविदा के लिए योग्य घोषित किए जाने की संभावना थी। भेल पहली निविदा में केवल तीन पीवी मॉडयूल विनिर्माताओं की अपेक्षा जीआईपीसीएल द्वारा 10 पीवी मॉडयूल विनिर्माताओं का अनुमोदन प्राप्त करके अपने प्रयासों में सफल रहा। इन प्रयासों के कारण विपरीत नीलामी के माध्यम से ₹7.70 करोड़ की बचत हुई थी। भेल को शेष 21.5 मे.वा के लिए भेल द्वारा विनिर्मित मॉडयूलों की आपूर्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष बचत भी हुई और विदेशी विनिमय बहिर्वाह में कमी हुई क्योंकि जीआईपीसीएल ने उत्पादन गारंटी प्राप्ति के लिए बने इस भाग हेतु बीएनईएफ विक्रेता की शर्तों से छूट पर सहमति दे दी।

iv) सुरक्षा शुल्क भुगतान के लाभ केवल भारत सरकार को मिलने थे और किसी विक्रेता को लाभ नहीं मिला। भेल और जीआईपीसीएल के पीएसयू होने के नाते भारत सरकार को किए गए भुगतान भारत सरकार के पास ही रहेंगे तथा जीआईपीसीएल से प्रतिपूर्ति प्राप्त न होने को हानि नहीं मानना चाहिए।

उत्तर पर निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनजर विचार किए जाने की आवश्यकता है:

(i) हालांकि, प्रबंधन ने अग्रसक्रियता से कार्य किया और जीआईपीसीएल से आशय-पत्र की प्राप्ति से पूर्व ही पहली निविदा जारी कर दी, फिर भी यह पहली निविदा में 'योग्यता-पूर्व मानदंड' के तहत ब्लूमबर्ग टीयर-I सूचीबद्ध विक्रेताओं की आवश्यकता सम्मिलित करने में विफल रहा जैसाकि दिनांक 30 मार्च और 28 अप्रैल 2018 की पुन: आमंत्रित निविदा में

किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 12 बोलीदाताओं में से केवल पांच ही मानदंड को पूरा कर सके।

(ii) निविदा की शर्तों में अनुबंधित था कि मात्रा को 50:30:20 के अनुपात में बांटा जा सकता था। यदि किसी अनुवर्ती विक्रेता ने एल1 कीमत पर आपूर्ति स्वीकार नहीं की तो शेष मात्रा का आदेश एल1 को ही दिया जा सकता था। इसे देखते हुए भेल को सुरक्षा शुल्क की अतिरिक्त देयता, यदि उद्गृहीत हो, को कम करने के लिए स्वदेशी अधिप्राप्ति के साथ-साथ आयात हेतु 'डीडीपी परियोजना स्थल चरंका' के रूप में सुपुर्दगी शर्तों पर बल देना चाहिए था।

(iii) प्रबंधन द्वारा मुहरबंद बोली के अनुसार न्यूनतम बोली लगाने वाले बोलीदाता द्वारा उद्धृत राशि और विपरीत नीलामी के बाद प्राप्त राशि के बीच अंतर के आधार पर ₹7.70 करोड़ की बचत की गणना की गई। हालांकि, विपरीत नीलामी भेल द्वारा जारी सभी तीन निविदाओं का हिस्सा थी। इसी प्रकार, भेल द्वारा विनिर्मित मॉडयूलों की आपूर्ति के कारण हुई बचत जीआईपीसीएल से संबंधित है जिसने उत्पादन गारंटी सुनिश्चित करने और आशय-पत्र दिनांक 19 मार्च 2018 के खंड 10 और खंड 8 के अनुसार गारंटीकृत निवल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा उत्पादन के कारण निर्णीत हर्जाने/ क्षतिपूर्ति से बचने के लिए अतिरिक्त 21.5 मे.वा. के लिए शर्तों से छूट देने पर सहमति दी। अत:, इन दोनों बचतों का की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से कोई संबंध नहीं है।

(iv) यदि 75 मे.वा. का संपूर्ण आदेश डीडीपी के रूप में सुपुर्दगी शर्तों पर दिया गया होता तो सुरक्षा शुल्क के भुगतान का पूरा भार विक्रेता द्वारा वहन किया जाता, जिसका भेल पर कोई भार नहीं पड़ता। अत: यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि सुरक्षा शुल्क का भुगतान भारत सरकार के अवयवों के बीच है।

अत:, जबकि जीआईपीसीएल सतर्क था और इसने अपने वित्तीय हितों की रक्षा की वहीं दूसरी तरफ भेल ने अधिप्राप्ति हेतु अपनी निविदाएं जारी करते समय निविदा शर्तों और जीआईपीसीएल द्वारा किए गए संशोधनों पर ध्यान नहीं दिया जिससे इसे आयातों की निकासी हेतु सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता वहन करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ नवम्बर 2020 में मंत्रालय को जारी कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

5.3 ड्रेगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की विफलता के कारण हानि

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूरित दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में अपनी असमर्थता और परिणामस्वरूप नॉर्दर्न कोलफीलड्स लिमिटेड द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि उठाई।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची (एचईसी) को नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) सिंगरौली से ₹153.10 करोड़ की कीमत पर एक इलेक्ट्रिक वाकिंग ड्रैगलाइन[5] की आपूर्ति, स्थापना और इसे शुरू करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ था (30 सितम्बर 2009)। एनसीएल ने उसी दर पर दो और ड्रैगलाइनों को जोड़ते हुए आपूर्ति आदेश में संशोधन कर दिया (दिसम्बर 2010)। ड्रैगलाइनों की कीमत में एक वर्ष की वारंटी अवधि हेतु उपभोज्य पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं और वारंटी अवधि के बाद दो वर्षों तक अपेक्षित बैक-अप पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं शामिल थी।

आपूर्ति आदेश के खंड 22 के अनुसार, एचईसी को कुल उपस्कर मूल्य[6] के 10 *प्रतिशत* के बराबर निष्पादन बैंक गारंटी देनी थी। एनसीएल को असंतोषजनक निष्पादन और/या संविदागत विफलता होने पर निष्पादन बैंक गारंटी का उपयोग/ नकदीकरण करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा, आपूर्ति आदेश के खंड 23 के अनुसार, ड्रैगलाइन की उपलब्धता इसे कमीशनिंग की तिथि से वारंटी अवधि के दौरान और इसके बाद 24 माह की अवधि के दौरान 90 *प्रतिशत* से कम नहीं होनी चाहिए।

एचईसी ने एनसीएल को तीन ड्रैगलाइनों की आपूर्ति की थी जिन्हें मई 2014 (एचएमबी-13), जनवरी 2016 (एचएमबी-14) और मई 2019 (एचएमबी-15) में कमीशन किया गया था। एचईसी दो ड्रैगलाइनों एचएमबी-13 और एचएमबी-14 की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा और इसके परिणामस्वरूप, एनसीएल ने ₹32.74 करोड़ मूल्य की चार बैंक गारंटियों का नकदीकरण किया (25 सितम्बर 2019)।

---

[5] *वायर केबल से खिंची जाने वाली बाल्टी वाले बड़े उत्खनक*

[6] *उपस्कर की वारंटी अवधि हेतु सहायक सामग्री, उपभोज्य पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं का मूल्य और उपस्कर पहुँचने पर उनकी स्थापना और कमीशनिंग के प्रभार आदि शामिल है।*

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

i) एचएमबी-13 की उपलब्धता इसके कमीशनिंग के बाद से लगातार 90 *प्रतिशत* के गारंटीकृत स्तर से कम रही थी। मासिक उपलब्धता पहले वर्ष के दौरान (मई 2014 से अप्रैल 2015) 43 *प्रतिशत* और 71 *प्रतिशत* के बीच, दूसरे वर्ष के दौरान (मई 2015 से अप्रैल 2016) 27 *प्रतिशत* औसत के साथ पांच माह के लिए शून्य और तीसरे वर्ष में (मई 2016 से अप्रैल 2017) औसतन 68 *प्रतिशत* रही।

एचएमबी-14 की उपलब्धता भी जनवरी 2019 के एक माह के अपवाद के साथ, जब उपलब्धता 90 *प्रतिशत* से अधिक थी, पहले तीन वर्षों (जनवरी 2016 से जनवरी 2019) के दौरान क्रमश: 50, 63 और 71 *प्रतिशत* औसत के साथ लगातार गारंटीकृत स्तर से नीचे बनी रही।

ii) ड्रैगलाइनों की उपलब्धता खराब रही क्योंकि मुख्य घटकों में असामयिक खराबी/ निरंतर विकार और अनुचित टूथ प्रोफाइल और होल बेमेलता के कारण ढिलाई और गलत संरेखण की समस्या बार-बार आई। इसके अलावा, एचईसी मशीनों में खराब पुर्जों के शीघ्र विनिर्माण और प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक पुर्जों के रख-रखाव और इन्वेंटरी की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा।

iii) एचईसी में लेखापरीक्षा समिति ने प्रथम दृष्टया यह भी पाया (दिसम्बर 2019) कि एचईसी की तरफ से कार्यस्थल पर पुर्जों की आपूर्ति में विलम्ब से ड्रैगलाइनों की अनुपलब्धता लंबे समय तक बनी रही।

iv) एनसीएल ने ड्रैगलाइनों की अनुपलब्धता और खराबी के मामलों को लगातार उठाया और निर्माण की खराब गुणवत्ता, नकली एवं दोषयुक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु एचईसी को जिम्मेदार ठहराया। एचईसी ने वारंटी के अंतर्गत ₹1.36 करोड़ के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति की तथा ड्रैगलाइनों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए ₹0.35 करोड़ खर्च किए परंतु वारंटी अवधि के दौरान एवं उसके पश्चात 24 माह के लिए ड्रैगलाइनों एचएमबी-13 और एचएमबी-14 की गारंटीकृत उपलब्धता प्राप्त नहीं कर सका।

v) जैसे कि ड्रैगलाइनों का निष्पादन गारंटीकृत स्तरों से काफी कम था, अत: एनसीएल ने निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण कराया।

अत:, एचईसी ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूरित दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में अपनी असमर्थता और परिणामस्वरूप नॉर्दर्न कोलफीलड्स

लिमिटेड द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि उठाई।

प्रबंधन ने निम्नलिखित बताया (जुलाई और दिसम्बर 2020/ फरवरी 2021):

- दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में बाधा प्रमुख ओर महत्वपूर्ण घटकों (मोटर पिनियन शाफट, मध्यवर्ती पिनियन शाफट, स्ल्यू रैक सैगमेंट, अपर ओर रोलर रेल सैगमेंट, स्विंग शाफट, खरीद मदें आदि) की खराबी के कारण आई थी। लंबे विनिर्माण दौर, लम्बी अधिप्राप्ति प्रक्रिया, मदों के उच्च मूल्य और एचईसी की खराब वित्तीय स्थिति के कारण अतिरिक्त पुर्जों की इन्वेंटरी नहीं बनाई जा सकी।

- ड्रैगलाइनों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली विभिन्न अन्य समस्याएं जैसे गीयरिंग मदों में टीथ प्रॉफाइल समस्या, स्ल्यू रैक सैगमेंट में फांउडेशन होल एवं कनेक्टिंग होल मांउटिंग की समस्या और रोलर रेल सैगमेंट में फटींग की समस्या थी। ये सभी समस्याएं उन मशीनरियों (गीयर कटिंग मशीन, ड्रिल मशीनें आदि) के कारण आई थी जो पुरानी थीं और जिनमें परिशोधन/आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी।

- तीसरी ड्रैगलाइन (एचएमबी-15) के सुगम चालन को सुनिश्चित करने के लिए, इसने नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुसार निर्माण में बदलाव किए, महत्वपूर्ण मदों का स्टॉक रखना, गहन निगरानी शुरू की तथा 90 *प्रतिशत* उपलब्धता बनाए रखने के लिए निवारक अनुरक्षण हेतु सेवा प्रदाता नियुक्त करने के लिए उपाय किए।

- मशीनों के दैनिक नियमित रख-रखाव (प्रतिदिन 2 घंटे या 24 घंटे का 8 *प्रतिशत*) को इसकी ब्रेकडाउन में शामिल किया जाता था और इसलिए शून्य घंटे की ब्रेकडाउन के साथ माह में केवल 92 *प्रतिशत* उपलब्धता कार्यान्वित होने योग्य थी, जो कठिन थी। निविदा-पूर्व बैठकों के दौरान एनसीएल के साथ मुद्दे को उठाया गया था, तथापि इसे स्वीकार नहीं किया गया और इसीलिए ड्रैगलाइनों के इस आदेश को लेने के लिए एनआईटी की शर्त स्वीकार कर ली गई।

- उन्होंने निष्पादन बैंक गारंटी की राशि लौटाने के लिए एनसीएल को कहा (15 जुलाई 2020)।

प्रबंधन के उत्तर पर निम्नलिखित के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए:

- प्रबंधन द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि ड्रैगलाइनों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण घटकों, पुरानी मशीनों में समयपूर्व खराबी तथा कार्यस्थल पर अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति करने में इसकी असमर्थता के कारण बाधा आई थी।

- निर्माण के दौरान नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुसार सुधारात्मक उपाय न करने, महत्वपूर्ण मदों के स्टॉक के रख-रखाव, ड्रैगलाइनों एचएमबी-13 और 14 में बेहतर उपलब्धता प्राप्त करने, जैसा तत्पश्चात एचएमबी-15 के मामले में किया गया था, के लिए गहन निगरानी और निवारक रख-रखाव करने के कारणों की व्याख्या नहीं की गई।

- प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि ब्रेकडाउन के अंतर्गत नियमित रख-रखाव घटों को समाविष्ट करने के मद्देनजर गारंटीकृत उपलब्धता प्राप्त करना काफी कठिन था क्योंकि ड्रैगलाइनों 13 और 14 का निष्पादन 90 *प्रतिशत* की सीमा से काफी कम था और रख-रखाव घंटों को छोड़ने के बाद भी वांछित निष्पादन प्राप्त नहीं होता।

इसके अलावा, प्रबंधन को गारंटीकृत 90 *प्रतिशत* उपलब्धता से संबंधित एनआईटी शर्त के बारे में पता था और इसीलिए एचएमबी 13 और 14 के संबंध में असंतोषजनक निष्पादन के कारण एनसीएल द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के बाद अपनी उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए थे, जैसा बाद में एचएमबी 15 के लिए किया गया था।

- इसके अतिरिक्त, प्रबंधन का यह उत्तर कोई महत्व नहीं रखता कि इसने निष्पादन बैंक गारंटी राशि के प्रतिदाय के लिए एनसीएल को अनुरोध किया था क्योंकि इसने निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण पर प्रश्न नहीं उठाया है अपितु कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप एचईसी की खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर निष्पादन बैंक गारंटियों को लौटाने पर विचार करने हेतु एनसीएल को केवल अनुरोध किया। यह अनुरोध एनसीएल द्वारा निष्पादन बैंक गारंटियों के नकदीकरण से नौ माह बीत जाने के बाद भी किया गया था और इस संदर्भ में एनसीएल से कोई प्रतिक्रिया या आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2021)।

इस प्रकार, एनसीएल को आपूरित दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में एचईसी की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप खरीदकर्ता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ जनवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

5.4 तकनीकी लेखापरीक्षा पर निष्फल व्यय

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) ने निधियों का आश्वासन प्राप्त किए बिना विनिर्माण आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में तकनीकी लेखापरीक्षा सहित दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संविदाएं की। निधियों और आदेशों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप तकनीकी लेखापरीक्षा पर ₹12.47 करोड़ का निष्फल व्यय (सीएनआईआईटीएमएएसएच, रूस को ₹6.74 करोड़, ओकेबीएम, रूस को ₹5.73 करोड़) हुआ।

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी या कंपनी) ने मई 2017 और जून 2017 में सीएनआईआईटीएमएएसएच, रूस और ओकेबीएम अफ्रिकांतोव, रूस के साथ क्रमशः 7.25 मिलियन यूएसडी और 10 मिलियन यूएसडी की लागत से दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संविदाओं में प्रवेश किया।

5.4.1 एचईसी ने 7.25 मिलियन यूएसडी की लागत पर परमाणु और थर्मल पावर प्लांट, शिप शाफ्ट, खोखली शिलिका के लिए घटकों के विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सीएनआईआईटीएमएएसएच, रूस के साथ एक प्रौद्योगिकी विकास करार में प्रवेश किया (30 मई 2017)। करार के अनुसार, प्रौद्योगिकी के विकास को पांच चरणों में पूरा किया जाना था, जिसमें चरण 1 में तकनीकी लेखापरीक्षा और मूल सूचनाओं की समीक्षा शामिल थी और चरणों 2 से 5 में एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी, मैनुअल, ऑन-साइट प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण में सुधार और अद्यतन का विकास शामिल था। यह करार अक्टूबर 2017 से 36 महीने के लिए प्रभावी था। चरण-1 के तहत तकनीकी लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 में पूरी हुई और एचईसी ने ₹6.74 करोड़ का भुगतान किया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

i) एचईसी ने अपेक्षित निधियों के विशेष प्रावधान के बिना ही अपनी आधुनिकीकरण योजना के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रौद्योगिकी के हस्तातरण के लिए यह करार किया था।

ii) एचईसी की आधुनिकीकरण योजना पर जून 2014 में विचार किया गया था और अक्टूबर 2017 में भारी उद्योग विभाग को भेजा गया संशोधित प्रस्ताव (₹1,252 करोड़) अभी अनुमोदित किया जाना था (फरवरी 2021)। तथापि, सीएनआईआईटीएमएएसएच के

साथ करार के पहले चरण के लिए ₹6.74 करोड़ का भुगतान इस टिप्पणी के साथ जारी कर दिया गया था कि आधुनिकीकरण निधि की प्राप्ति पर इसे प्रयुक्त के रूप में दर्शाया जाएगा।

iii) एचईसी को 2014-15 से लगातार हानियां हुई (झारखंड सरकार को सौंपी गई भूमि के बदले में प्राप्त प्रतिफल के आधार पर वर्ष 2017-18 के दौरान हुए लाभ को छोड़कर) और इसलिए इसके पास परियोजना के वित्तपोषण हेतु कोई अधिशेष संसाधन उपलब्ध नहीं थे।

iv) तकनीकी लेखापरीक्षा और मूल जानकारी की समीक्षा (चरण-1) करने के बाद, जो दिसम्बर 2017 में पूरा हुआ था, कार्य में और कोई प्रगति नहीं हुई तथा सीएनआईआईटी-एमएएसएच के साथ करार के अन्य चरणों (चरण 2 से 5) को संविदा समाप्ति से पहले शुरू नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, कंपनी ने सीएनआईआईटीएमएएसएच के साथ संविदा के चरण 1 पर ₹6.74 करोड़ का निष्फल व्यय किया और शेष चरणों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि सीएनआईआईटीएमएएसएच को आधुनिकीकरण हेतु आरंभिक उपाय के रूप में तकनीकी लेखापरीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। इसने आगे बताया कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा एचईसी की आधुनिकीकरण योजना की जांच करने के लिए स्थापित की गई सारस्वत समिति ने अपनी रिपोर्ट में कम्पनी के पालन-पोषण और पुनरूत्थान करने की सिफारिश की थी और सिफारिशों के आधार पर भारी उद्योग विभाग ने सक्षम प्राधिकारी को आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भेजा था। तथापि, सचिवों के कोर ग्रुप ने सिफारिश की (मई 2018) कि एचईसी के पुनरूत्थान और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई अलग निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तथा इसे आंतरिक रूप से संघरित किया जाएगा।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के आधार पर मान्य नहीं हैं:

- तकनीकी लेखापरीक्षा केवल तब आवश्यक होगी जब कंपनी के पास प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति के साथ आगे की कार्यवाही के लिए आवश्यक निधि हो। प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति के अभाव में तकनीकी लेखापरीक्षा पर किया गया व्यय निष्फल था।
- सारस्वत समिति ने सिफारिश की कि उन्नयन पूर्ण वित्तपोषण के पूर्व प्रावधान के साथ व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए। इसने उल्लेख किया कि केपेक्स निधि का

आबंटन एक बार में ही कुल आवश्यकता से संबंधित होना चाहिए और आंशिक निवेश से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु निधि के आश्वासन के बिना इसके लिए करार करना समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं था।

5.4.2 भारत सरकार ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा स्थापित किए जाने वाले 700 मे.वा. प्रत्येक के 10 स्वदेशी प्रैशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए अनुमोदन पर सहमति दी (जून 2017)। एचईसी ने एनपीसीआईएल से आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में पीएचडब्ल्यूआर में प्रौद्योगिकियां रखने वाली कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी (जुलाई 2017)। इसने 10 मिलियन यूएसडी[7] की कुल लागत पर ओकेबीएम एफ्रिकांटोव, रूस (ओकेबीएम) के साथ संविदा की थी (मई 2018)। संविदा के चरण 1 में तकनीकी लेखापरीक्षा और चरण 2 से 5 में डिजाईन दस्तावेजीकरण, इसकी विनिर्माण सुविधाओं के तकनीकी पुन: तैयारी के परामर्श, परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) आदि के लिए उपस्कर के फ्रेब्रिकेशन हेतु विनिर्माण सुविधाओं की तैयारी आदि सहित विकास और प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया दस्तावेजीकरण का हस्तांतरण शामिल होगा। तकनीकी लेखापरीक्षा जून 2018 में की गई थी और एचईसी ने मई 2019 और अक्टूबर 2020 में ओकेबीएम को ₹5.73 करोड़ का भुगतान किया था।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

i) ओकेबीएम के साथ एनपीपी उपस्कर के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित आदेश हासिल किए बिना संविदा की गई थी।

ii) एचईसी के निदेशक मंडल ने कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित बहुत अधिक निधि के संबंध में चिंता व्यक्त की थी (मई 2018) और भारी उद्योग विभाग के भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) के माध्यम से ओकेबीएम परियोजना के वितपोषण की संभावना ढूंढने या निधियों के लिए एनपीसीआईएल/परमाणु ऊर्जा विभाग को आग्रह करने के लिए प्रबंधन को निर्देश दिया।

iii) एचईसी के निदेशक मंडल ने निधियों की व्यवस्था के बिना ओकेबीएम के साथ करार को आगे न बढ़ाने का निर्णय किया (मार्च 2019) और उल्लेख किया (जून 2019)

---

[7] ***तकनीकी लेखापरीक्षा (8 लाख यूएसडी), प्रौद्योगिकी विकास (47.50 लाख यूएसडी), कार्यान्वयन (31 लाख यूएसडी) और दस्तावेजीकरण एवं प्रशिक्षण (13.50 लाख यूएसडी) शामिल था।***

कि आवश्यक वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे तथा जवाबदेही निर्धारित करने के लिए जांच की जाने वाली गंभीर चूकों पर चिंता व्यक्त की थी। इसी बीच, एचईसी अपेक्षित सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण एनपीसीआईएल द्वारा जारी मुख्य निविदाओं में भाग नहीं ले सका और यह पात्रता मानदंड भी पूरा नहीं करता था।

इस प्रकार, कंपनी ने एनपीसीआईएल से विनिर्माण आदेशों की प्रत्याशा में ओकेबीएम, रूस के साथ करार किया था तथा ₹5.73 करोड़ का निष्फल व्यय किया तथा संविदा के केवल चरण 1 को कार्यान्वित किया जा सका था तथा चरण 2 से 5 कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि एनपीसीआईएल ने भारत में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए मिलकर कार्य करने का समर्थन किया था और तकनीकी लेखापरीक्षा परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए उपस्कर एवं घटकों के विनिर्माण शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए उपस्कर के निर्धारण के लिए पूर्वापेक्षा थी। आधुनिकीकरण के लिए तैयारी उपाय के रूप में तकनीकी लेखापरीक्षा का कार्य ओकेबीएम को सौंपा गया था। इसने आगे बताया कि भारत सरकार द्वारा एचईसी की आधुनिकीकरण योजना की जांच करने के लिए स्थापित की गई सारस्वत समिति ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के पालन-पोषण ओर पुनरूत्थान की सिफारिश की थी। इसने यह भी बताया कि एचईसी आधुनिकीकरण हेतु अनुमोदित व्यय के अभाव में निविदाओं में भाग नहीं ले सका। तथापि, सचिवों के कोर ग्रुप ने सिफारिश की (मई 2018) कि एचईसी के पुनरूथान और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई अलग निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तथा इसे आंतरिक रूप से संघटित किया जाएगा।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के आधार पर मान्य नहीं है:

- कंपनी ने निधियों का प्रावधान किए बिना करार किया और एनपीसीआईएल से आदेश प्राप्त करने की इसकी प्रत्याशा के आधार पर व्यय किया।

- यद्यपि एनपीसीआईएल ने एचईसी के साथ कार्य करने में अपनी रूचि दिखाई थी (अक्टूबर 2016), फिर भी आधुनिकीकरण के अभाव में एचईसी एनपीसीआईएल द्वारा जारी निविदाओं के लिए योग्य होने में विफल रहा।

- जैसे उपर्युक्त 5.4.1 में उल्लिखित है, सारस्वत समिति ने सिफारिश की कि केपेक्स निधि आबंटन एक बार में उपलब्ध होना चाहिए तथा आंशिक निवेश से वांछित परिणाम

प्राप्त नहीं होगा। इसलिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए निधियों के आश्वासन के बिना करार करना समिति की सिफारिश के अनुरूप नहीं था।

उपर्युक्त मामलों से इस तथ्य का पता चला कि विदेशी कंपनियों के साथ इन करारों को करने का एचईसी का निर्णय आवश्यक निधियों के प्रावधान के बिना अथवा विनिर्माण आदेशों की प्रत्याशा में था। एचईसी अपनी आधुनिकीकरण योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा और निधियों के अभाव के परिणामस्वरूप तकनीकी लेखापरीक्षाओं पर ₹12.47 करोड़ (सीएनआईआईटीएमएएसएच रूस को ₹6.74 करोड़ और ओकेबीएम रूस को ₹5.73 करोड़) का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।